स्वच्छ भारत अभियान : मैला सफाई कर्मचारियों का एक समाजशास्त्रीय **अध्ययन** (मैनपुरी जिले के सन्दर्भ में)

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड विश्वविद्यालय)
के अन्तर्गत पीएच०डी० (समाजशास्त्र) की
उपाधि हेतु प्रस्तावित
रूपरेखा

शोध निर्देशिका

डॉ० प्रियंका सिंह
असिस्टेंट प्रोफेसर
समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग
समाज विज्ञान संकाय

शोधार्थिनी

सारिका सिंह
(समाजशास्त्र)

समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान विभाग, समाज विज्ञान संकाय
दयालबाग़ एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट, (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग़, आगरा – 282005

2021

प्रस्तावना–

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है तथा भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों के लिए समान मूल अधिकारों की बात करता है तथा किसी भी रूप में चल रहे अस्पृश्यता प्रथा का भी निषेध करता है और इसे मैलिक अधिकारों का हनन समझता है परन्तु आज भी देश में जाति व्यवस्था के आधार पर समाज में मैला सफाई कर्मियों के समुदाय को सबसे निचले पायदान पर रखा जाता है। इस दलित समुदाय को समाज में निम्न नामों से जाना जाता है– हरिजन, बाल्मीकि, शूद्र, भंगी अछूत यह जातियाँ वैदिक काल से ही वर्ण व्यवस्था से बहिष्कृत थी, जिसके अनुसार **लुई डयुमो**– ने भारतीय जाति व्यवस्था को संस्तरण के आधार पर समझाया है तथा इस संस्तरण की अवधारणा को शुद्ध एवं प्रदूषण के आधार पर व्यक्त किया है। कुछ भारतीय जातियों के कार्यों को अछूत समझा जाता है तथा कुछ जातियों के कार्यों को श्रेष्ठ समझा जाता है। यह स्थिति उनके सामाजिक सम्बन्धों को प्रभावित कर उनके समाज की प्रस्थिति का निर्धारण करती है। आज भी देश के विभिन्न हिस्सों में ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में अधिक संख्या में लोग मैला ढोने जैसे घृणित कार्य में लगे हुये हैं जिन्हें सामाजिक रूप से दबे–कुचले व निम्न वर्गों के लोगों व समूहों के रूप में जाना जाता है, जो सामाजिक, आर्थिक एवं शौक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के रूप में हैं जिन्हें समाज की मुख्य धारा से वंचित रखा जाता है जो समाज में रहकर एक दयनीय जीवन जी रहे है।

अस्पृश्यता व पदानुक्रम –

भारतीय समाज में दलित वर्ग के प्रति अस्पृश्यता का मूल कारण ऊँच–नीच की भावना से है जो जाति व्यवस्था के कारण समुदाय को सामूहिक रूप से अस्पृश्य मानकर सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश वर्जित करता है। इसे अस्पृश्यता करते हैं।

पदानुक्रम का अर्थ, समाज दो या दो से अधिक भिन्न वर्गों में उच्च और निम्न इकाईयों में विभाजित है। इस प्रकार यह सकर्मक पदानुक्रम होता है। यह विभिन्न जातियों को उनकी शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार इंगित करता है जो व्यवसायों को उच्च से निम्न स्थिति में विभाजित करता है जहाँ ब्राह्मण का व्यवसाय कर्मकाण्ड और शिक्षा देना है। यह है सबसे शुद्ध व्यवसाय दूसरी तरफ स्वीपर

जिसका पेशा सफाई और मैला ढोना यह व्यवसाय अशुद्धता के कारण पदानक्रम के नीचे तल पर रखा जाता है।

मैला सफाई कर्मियों का इतिहास–

अरब देशों में कबीलाई संस्कृति थी जहाँ महिलाओं के अपहरण व लूट की घटनाओं के कारण ही शौचालय बनाये गये तथा प्राचीन काल में भारत में घर से बाहर जंगलों व खेतो में शौच के लिए जाया करते थे, किन्तु मुस्लिम राजाओं ने घर के अन्दर ही शौचालय की व्यवस्था की तब इस गन्दे कार्य के लिए उन योद्धाओं को लगाया जाता था जो युद्ध में बन्दी बनाये गये होते थे। इन योद्धाओं को मल–साफ करने के लिए विवश किया जाता था। यह योद्धा बहुत वीर थे, यह इस्लाम स्वीकार करने के बजाय गन्दे कार्यों में लग गये। अपने धर्म व जात का अपमान न हो इसलिए यह अपने ही लोगों से दूर भी रहने लगे बाद में इन्हें हिन्दु समाज ने इस समुदाय को बाहर कर दिया और इन्हें दलित बनाकर मैला सफाई करने के कामों में ही लगा दिया। इतिहास के कई लेखों के अनुसार, इन वीर हिन्दु लोगों को दलित नाम अंग्रेजों ने दिया था, क्योंकि यह लोग मुस्लिम शासकों द्वारा शोषित थे। अतः समाज को स्वच्छ रखने की इस भावना को तथा इस समुदाय को हमेशा तिरस्कार ही मिला है। (संजीव खुदशाह (2005)

मैला ढोने की कुप्रथा–

भारत में सिर पर मैला ढोने का घृणित तथा अपमानजनक कार्य भारतीय समाज का एक हिस्सा है जो पूरे देश में जातिगत आधार पर इस कुप्रथा को पीढ़ी दर पीढ़ी अपने पेशे के रूप में अपना कर कार्य कर रहे हैं जो अधिकांशता अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग से सम्बन्धित है। यह हमारे समाज को एक महत्वपूर्ण सेवा प्रदान कर रहे हैं उन्हें हमारा समाज अछूत के रूप में देखता है यही कारण है की मैला कर्मियों को अपमान व तिरस्कृत जीवन जीने पर विवश करते हैं। भारत में इस कुप्रथा को मानवीय गरिमा के मुद्दे से जोड़कर देखें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14–18 के अन्तर्गत समानता का अधिकार प्रदान किया गया है इसके अन्तर्गत धर्म, जाति, लिंग, स्थान आदि के भेदभाव का अन्त कर दिया, परन्तु आज भी वर्तमान में दलित वर्ग मैला ढोने के कार्य करने को विवश है। इस स्थिति को देखते हुए **महात्मा गाँधी** ने कहा कि ''मैं फिर से पैदा नहीं हो सकता लेकिन अगर ऐसा होता तो मैं एक

सफाई कर्मी के परिवार में पैदा होना चाहूगाँ ताकि मैं उन्हें अमानवीय अस्वस्थ्य कर और घृणास्पद कार्य से मुक्त कर सकूँ।

मैला सफाई कार्य से अभिप्राय–

किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं के हाथो से मानवीय अवशिष्टों की सफाई करना मैला ढोने का कार्य (मैन्युअल स्कैवंजिग) कहते है।

ड्राई लैट्रिन– शुष्क शौचालय जो फ्लश नही करता है और सेप्टिक टैंक या सीवेज सिस्टम से जुड़ा नहीं है जिसे दैनिक आधार पर मैनुअल सफाई की आवश्यकता होती है।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इसे मुख्य रूप से सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव उत्सर्जन को हटाने के साथ–साथ सेप्टिक टैंक सीवर और गटर की सफाई को भी (मैन्युअल स्कैवंजिग) द्वारा शामिल किया है।

भारत में मैला सफाई कर्मियों की स्थिति–

भारत में जाति पर आधारित मैला ढोने की प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें दलितों समुदाय कर्मियों को अपने हाथों से शुष्क शौचालय, सीवर, सेप्टिक टैंक व मल–मूत्र साफ करने के लिए मजबूर करते हैं। हाँलाकि इस प्रथा को 1993 में भारत में गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। लेकिन आज भी कई देशों में यह व्यापक रूप से प्रचलित है। **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (MSJE)** के आँकड़े ''भारत में मैला ढोने की संख्या 7.70338 है जो मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के 63,000 घरो को रोजगार देने वाला सबसे बड़ा नियोजन है। जिसमें हर दिन सफाई कर्मियों की सीवर में सुरक्षा कवच व यंत्रों के बिना उतरने के कारण मृत्यु हो जाती है। हाल ही में **ग्रामीण विकास जल एवं स्वच्छता मंत्री** ने भारतीय रेलवे को दुनिया का सबसे बड़ा खुला शौचालय कहा है जो देश में बड़ी संख्या में मौजूद है।

भारत में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, मैनुअल स्कैवेंजिग को तीन रूपों में प्रतिष्ठित किया है–

- सार्वजनिक सड़कों और सूखे शौचालयों से मानव मल–मूत्र साफ करना।
- सेप्टिक टैंकों व गड्डो की सफाई करना।
- नाली–नालों व सीवर की सफाई करना।

स्वच्छ भारत अभियान के तहत–

1 अप्रैल 2012 से सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान का नाम निर्मल भारत अभियान था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व के साथ शुरू किया। 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान को एक नयी सोच के साथ जिसका उद्देश्य **महात्मा गाँधी** की 150 वर्षगांठ 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को खुले में शौच से मुक्त करना है। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत पूरे देश में लाखो की संख्या में सेप्टिक टैंक एवं गड्डे खोदे जा रहे हैं जो मैनुअल सफाई को बढ़ावा दे रहे है। इसके तहत उठाए गये कई सकारात्मक कदमों के बावजूद **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** ने बताया कि 2016 से 2019 के बीच देश में सीवर व सैप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 282 कर्मचारी की मृत्यु हुई है वही सफाई कर्मचारी आन्दोलन के कार्यकर्ता **बेजवाड़ा विल्सन** का कहना है कि इस कार्यक्रम के दौरान सीवर लाइनों और सेप्टिक टैंकों का आधुनिकीकरण करने तथा स्वच्छता की स्मार्ट तकनीकी पर धन व ऊर्जा लगाकर मैला सफाई कर्मियों की समस्या को बढ़ावा देना है।

मैला ढोने के विरुद्ध नियम व कानून–

भारत में सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा के लिये सरकार ने कानूनी नीतियाँ व कार्यक्रम नियोजित किये।

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग द्वारा

- इस अधिनियम के तहत शुष्क शौचालय को समाप्त कर व मैला ढोने के रूप में रोजगार पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
- **प्रोहीविश्न ऑफ इम्प्लायमेंट एस. मैनुअल स्कैवेजर एण्ड देयर एम्प्लायमेट एक्ट (2013)**
- इस अधिनियम के तहत सेप्टिक टैंक व रेलवे पटरियों की सफाई को भी शामिल किया गया।
- मैनुअल स्कैवंजर्स के पुनर्वास के लिए एवं रोजगार योजना।
- विभिन्न सार्वजनिक आयोगो तथा नगर और स्वच्छ भारत अभियान मिशन (SMB) द्वारा इन योजनाओं के तहत मैला सफाई कर्मियों की सुरक्षा के लिये लाये गये।

समस्या का कथन–

भारत में विकास के इस दौर में भी जाति में भेदभाव के कारण दलित समुदाय के मैला ढोने वाले कर्मियों का एक बहुत बड़ा भाग सदियों से पिछड़ा व उत्पीड़ित रहा है। आज भी ये निम्न जातियाँ सामाजिक स्तर पर उच्च जातियों द्वारा छुआ–छूत के कारण तिरस्कृत व आर्थिक स्तर पर भौतिक संसाधनों से दूर है व संवैधानिक नागरिक अधिकारों से भी वंचित है। यह निम्न जातियाँ आज भी देश में अमानवीय जीवन जी रही है। अतः वर्तमान परिदृश्य में इन मैला कर्मियों की आर्थिक व सामाजिक स्थिति से जुड़ी हुई समस्या व स्वच्छ भारत अभियान के तहत इन सफाई कर्मचारियों की स्थिति में जो भी परिवर्तन दिखलाई पड़ते है उनकी सम्पूर्ण स्थिति को जानने में मेरा अध्ययन सहायक सिद्ध हो सकता है।

अध्ययन का महत्व–

किसी समाज के विकास के लिए उनके सभी समुदायों, क्षेत्रों, वर्गों, उपवर्ग का विकास आवश्यक है। जब तक सभी निम्न जातियों का विकास नहीं होगा तब तक सम्पूर्ण समाज का विकास नहीं हो सकता है। भारत में दलित समुदाय जो कि पिछड़ा हुआ है का शोषण, उत्पीड़न व सामाजिक बहिष्कार जाति व्यवस्था के आधार पर होता है तथा समाज द्वारा इनके विकास के रास्ते में बाधाएँ खड़ी की जाती है इसी कारण दलित वर्ग शोषित बनकर रह गया। इन मैला कर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून द्वारा कोई ठोस कदम उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से समाज इन वर्गों का सामाजिक, आर्थिक व शौक्षणिक आदि सभी प्रकार से शोषण की सम्भावना बढ़ जाती है। आज भी मैला कर्मियों की समस्या वर्तमान में देखी जा रही है। इस अध्ययन के द्वारा मैला कर्मियों के समुदायों की समस्याओं जानने तथा उन्हें समाज के सामने लाने का प्रयास किया जायेगा। मेरा यह अध्ययन इस दिशा में एक मात्र कदम है जो इस विषय पर भविष्य में शोध को बढ़ावा देने में सहायक सिद्ध हो सकता है।

साहित्य का पुनरावलोकन–

- **जोशी. वारबरा आर., ''डेमोक्रसी इन सर्च ऑफ इक्वालिटी अनटचेवल पॉलिटिक्स एण्ड इंडियन सोशल (1982)''** प्रस्तुत पुस्तक में दलित समस्या के विविध पहलुओं को विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है। भारत का दलित समुदाय सदियों से सामाजिक असमानता, अपमान एवं

आर्थिक शोषण झेलता आ रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात् स्थापित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जो लोकतंत्र के सिद्धान्तों व समानता बंधुत्व पर आधारित है। इस पुस्तक का उद्देश्य संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपभोग दलित किस सीमा तक रहा है। इस तथ्य का विश्लेषण करना है। इस पुस्तक के अध्ययन में दलितों के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक स्थिति का विवरण दिया गया है। इसमें अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु महात्मा गाँधी व डॉ० भीमराव अम्बेडकर के मार्ग का भी विवेचन करता है।

- **वी.एन. श्रीवास्तव, ''भारत में मैनुअल स्कैवेंजिग'' देश के लिए एक अपमान (1997)** प्रस्तुत पुस्तक में स्वतंत्रता के पश्चात् मैला ढोने वाले समुदाय के पारस्परिक व्यवसाय के आधार पर वर्णन करता है। जो दूसरों के मल–मूत्र को साफ करने के लिए मजबूर है। यह पुस्तक भारत में मैला ढोने की उत्पत्ति, सांस्कृतिक विरासत व क्षेत्रीय वितरण का पता लगाना है जो केन्द्र और राज्य सरकारो द्वारा की गई पहल का मूल्यांकन करता है जिससे श्रमिक वर्गों की स्थिति में सुधार आ सके।

- **पाठक बिदेश्वर (1997)** ''रोड टू फ्रीडम भारत में मैला ढोने के उन्मूलन पर एक समाजशास्त्रीय अध्ययन'' इस पुस्तक में उन्होंने बताया कि भारत में मुख्य रूप से हिन्दुओं के बीच जाति व्यवस्था एक पारम्परिक रूप से पेशे से जुड़ी हुई है। जहाँ मैला ढोने वालों को प्रदूषण की अवधारणा के बारे में प्रशिक्षित करता है।

- **प्रो० श्यामलाल ''सामाजिक न्याय एवं दलित राजनीति'' (2004)** प्रस्तुत पुस्तक के अध्ययन में लगभग छः दशक से अधिक समाज, शिक्षा, प्रशासन राज्य सेवा एवं राजनीति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अछूतों में भी भंगी जाति के अपमान और उपेक्षा की पीड़ी का विस्तृत अध्ययन किया गया है। उक्त पुस्तक में राजस्थान में रह रहे इस तिरस्कृत बहिष्कृत उपेक्षित एवं प्रताड़ित समाज की पीड़ा का समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अध्ययन किया है।

- **संजीव खुदशाह, ''सफाई कामगार समुदाय'' (2005)** प्रस्तुत पुस्तक में सफाई कर्मचारियों की उत्पत्ति से लेकर समाज द्वारा उनके साथ किये गए क्रूर व्यवहार का उल्लेख किया है तथा इस

पर विचार किया कि कुछ लोगों ने अपने ही जैसे मनुष्यों की गन्दगी को ढोना अपना व्यवसाय बना लिया। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए लेखक ने अपनी पुस्तक में अध्ययन किया। भारत में मैला सफाई कार्य वास्तविकता में एक जाति पर आधारित नहीं है बल्कि कई जातियाँ इस कार्य में लगी हुई है।

- **एस.एल. शाह की पुस्तक ''भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्था : कब क्यों और कैसे?'' (2005)** में भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति के लिए वर्तमान में प्रचलित सिद्धान्तों का अध्ययन करके नयी व्याख्या प्रस्तुत की है। जिसको लेखक द्वारा सामाजिक विकासवादी सिद्धान्त का नाम दिया गया है। इस पुस्तक को 31 अध्यायों में विभक्त किया गया। जाति व्यवस्था के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत किये गये है। यह पुस्तक जाति व्यवस्था के सैद्धान्तिक पक्ष का विश्लेषण करने में सहायक होगी।
- **तिवारी, आर. राजनारायण ''सीवेज और सैनिटरी श्रमिकों में व्यावसायिक स्वास्थ्य खतरे'' (2008)** प्रस्तुत शोध पत्र में सीवरेज कार्यकर्ता के स्वास्थ्य सम्बन्धित समस्याओं को शामिल करता है। जो मैला ढोने वाले परिवेश की स्वच्छता में शामिल है। इन श्रमिकों को कार्य करते समय हानिकारक गैसों के सम्पर्क में आते है। जिससे इन्हें श्वसन व त्वचा सम्बन्धित बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यह आंशिक रूप से श्रमिकों के इस समूह के लिए एक प्रभावी व्यवसाय है। इस पत्र में लेखन ने श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा व उपकरणों के उपयोग के बारे में शिक्षा व जागरूकता कार्यक्रम सरकार के माध्यम से आयोजित किया जाना चाहिए।
- **वाल्मीकि, ओमप्रकाश ''सफाई देवता'' (2008)** ने प्रस्तुत पुस्तक में भारतीय समाज के सबसे उपेक्षित तबके भंगी या अछूत की ऐतिहासिक परिपेक्ष्य के साथ मौजूद वास्तविक स्थिति का वर्णन किया है तथा उच्च वर्ग से जुड़ी धार्मिक–पूजा पाठ से जुड़ी मान्यताओं को भी बताया है। इस लेख का उद्देश्य ऐसी सामाजिक पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में रहने वाले वाल्मीकि समुदाय से है। जिनका उत्पीड़न सदियों से होता चला आ रहा है। लेखक का कहना है कि समाज जितना समय इनको घृणा करने में व्यर्थ करता है उतना समय स्वच्छता स्थापित करने में नहीं लगाता, जिससे इनकी स्थिति में सुधार किया जा सके।

- **सिंह, राजीव कुमार एवं जिआउद्दीन'' मैनुअल स्कैवेंजिग एज एक्सक्लूसिव ए केस स्टडी'' (2009)** प्रस्तुत शोध भारत में मैला सफाई कर्मी के रूप में जाति व्यवस्था के सामाजिक बहिष्कार से जुड़ी समस्या से सम्बन्धित है। यह अध्ययन पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मैला सफाई के कारण और परिणाम का विश्लेषण करता है तथा यह पूर्वगामी सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें 72 मैला सफाई कर्मी के औपचारिक साक्षात्कार में पाया गया है कि ज्यादातर 30–50 आयु वर्ग के थे। प्रस्तुत शोध में बताया गया है कि यदि लोग अपने व्यवसाय से भिन्न कार्य करना चाहे तो उन्हें सामाजिक बहिष्कार के कारण कोई कार्य नहीं मिलता है जिससे इनकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। इनकी स्थिति सुधारने के लिए इन्हें शिक्षित करना आवश्यक है।

- **माइकल एस.एम., ''आधुनिक भारत में दृष्टि एवं मूल्य'' (2010)** ने अपनी पुस्तक में भारत में दलितों के संघर्ष का विश्लेषण किया तथा बताया कि भारतीय समाज की दलित दृष्टि उच्च जातियाँ की दृष्टि से बिल्कुल ही भिन्न है। वर्तमान में दलितों की सामाजिक परम्पराएँ एवं सांस्कृतिक मूल्य भिन्न माने है। लेखक का मानना है कि दलित आज नए आधुनिक भारतीय समाज की ओर बढ़ रहा है जिससे समानता, सामाजिक न्याय एवं मानव गरिमा के मूल्यों पर आधारित मानवता को स्थापित किया जा सके।

- **गिरीश अग्रवाल, ''दलित और कानून'' (2010)** प्रस्तुत पुस्तक में दलित अधिकारों वैधानिक मुद्दे एवं लोगों पर होने वाले अत्याचारों का वर्णन करता है। इसमें आंध्र प्रदेश के दलितो की स्थिति को बताया है। यह अध्ययन 500 दलित परिवारों के केस स्टडी के आँकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया है। लेखक ने इस समुदाय पर जाति, लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव और अस्पृश्यता को बताया है। इनका मानना है कि सरकार को कानूनी प्रावधान मजबूत बनाने की आवश्यकता है ताकि इन समुदाय के लोगों का विकास हो सके।

- **बतरा, एल. ''सेवरेज एण्ड सेवरे वर्करस इन इण्डिया'' (2012)** प्रस्तुत शोध में लेखक ने मैला सफाई कर्मी के जीवन की सुरक्षा के लिए किये गये प्रयासों को बताया है तथा इसे खतरनाक

सफाई कह कर पुकारा है। इसमें मैला सफाई कर्मियों द्वारा सीवर की सफाई के लिए प्रयोग किये जाने वाले उपकरणों व मशीनों के लिए सरकार द्वारा प्रावधानों को बताया है। भारत में इन उपकरणों की कमी के कारण हजारो सफाई कर्मियों की मृत्यु हो जाती है। इसके समाधान के लिए प्रौद्योगिकी का उन्नत होना आवश्यक है।

- **सिद्दारामू वी. ''लिबरेशन एण्ड रिहविलिटाइजेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स'' (2013)** प्रस्तुत शोध अध्ययन में मैला सफाई कर्मियों की समाज में सामाजिक, आर्थिक स्थिति को बताया गया है जो जाति प्रथा के कारण इस पारम्परिक व्यवसाय से जुड़े हुये है। यह समुदाय सार्वजनिक व निजी शौचालयों की सफाई कर्मियों के रूप में कार्य करता है जिसके कारण इनसे बुरा व्यवहार किया जाता है। लेखक का मानना है कि सरकार द्वारा लोगों को कानूनी प्रावधान व पुर्नावास सम्भव करा सके।
- **सिंह, दिग्विजय ''मैनुअल स्कैवेजिंग भारत में जाति और भेदभाव'' (2014)** ने अपने शोध अध्ययन में सदियों से चली आ रही मैला प्रथा जातिगत व्यवस्था पर आधारित है। इस शोध पत्र में उत्तर प्रदेश के एटा जिले कॉसल गाँव के 12 परिवारों के साक्षात्कार किया। जो महिलाएँ एवं पुरुषो के कार्य से सम्बन्धित है जहाँ महिलाएँ रोजाना सूखे शौचालयों को साफ करती है वही पुरुष सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए बाध्य किये जाते है। इस पत्र में लेखक ने अस्पृश्यता प्रथा व भेदभाव का सबसे खराब जीवित प्रतीक है। जिसमें महिलाओं को भुगतान के रूप में बचे हुये भोजन व पुराने कपड़े, अनाज दिये जाते है।
- **प्रो० श्यामलाल, ''अम्बेडकर और दलित आन्दोलन'' (2015)** में अपने अध्ययन में राजस्थान के जोधपुर शहर के दलितों की पारिवारिक स्थिति को बताया है तथा यह अध्ययन 400 परिवारों के साक्षात्कार, जातिगत अवलोकन पर आधारित है। लेखक द्वारा इस समुदाय पर सदियो से हो रहे भेदभाव व संघर्ष की बात की है इनका मानना है कि दलित वर्ग पर हो रहे अत्याचार पर रोक लगाना चाहिए जिससे वह एक सामान्य जीवन–यापन कर सके।

- **अकरम, मोहम्मद ''सोशलौजी ऑफ सैनीटेशन टैक्स बुक सीरीज'' (2015)** प्रस्तुत पुस्तक में स्वच्छता के अध्ययन के लिए आवश्यक वैचारिक और सैद्धान्तिक योगों को चित्रित किया गया है। जिसमें विभिन्न राष्ट्रीय और वैश्विक ऐजेसियों द्वारा प्राप्त आँकड़ों का प्रयोग किया गया और स्वच्छता के समाज द्वारा प्रतिमान प्रस्तुत करता है। इस पुस्तक में आठ अध्ययन है जिसमें सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रौद्योगिक योजना व नीति से सम्बन्धित स्वच्छता के विभिन्न आयामों की चर्चा की गई है। भारत में स्वच्छता की कमी से स्वास्थ्य सम्बन्धित बीमारियाँ बढ़ती जा रही है। इस पुस्तक में लेखक का मानना है कि स्वच्छता से सम्बन्धित भारी आर्थिक नुकसान व सामाजिक असमानताए को भी देखते है।
- **डॉ० शर्मा, माधवी ''सफाई कामगारो के पुनर्वास का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अध्ययन'' (2016)** प्रस्तुत शोध अध्ययन में बताया है कि मैला सफाई कर्मियों के पुनर्वास व रोजगार हेतु सरकार के प्रयासो को बताता है। जिससे मैला ढोने वाले श्रमिकों को इस कार्य से मुक्त कराया जा सके। इस शोध पत्र में भारत सरकार द्वारा अस्पृश्यता निवारण व सामाजिक पुनः निर्माण की नीति को सर्वोच्च स्थान दिया है। जिससे क्षेत्रों व समुदाय में बदलाव देखने को मिला है। तथा इन कर्मियों के कल्याण हेतु अनेक स्वैच्छिक संगठन व योजनाएँ हेतु अनुदान स्वीकृत किया है।
- **चतुर्वेदी, जगदीश ''शूद्र कौन थे?'' (2017)** प्रस्तुत शोध में शूद्रो पर डॉ० अम्बेडकर के विचारों का उल्लेख किया गया है। इस शोध का उद्देश्य शूद्रों की उत्पत्ति को ढूँढ़ना तथा उनके पतन के कारणों को खोजना है। अम्बेडकर ने प्राचीन साहित्यालोचना के मानकों के आधार पर कानूनी नजरिये से देखा है कि किसी भी वर्ग ने शूद्रो की समस्या से सम्बन्धित कार्य को उजागर नहीं किया, जिससे शूद्रो की उत्पत्ति को ढूँढ़ना और उनके पतन के प्रश्न का समाधान हो सके।
- **प्रिया, (2018)** ने अपने अनुसंधान में मुजफ्फर बिहार शहर की महिला कर्मचारियों की दैनिक स्थिति को जानने का प्रयास किया है। जिसमें अधिकांशतः महिलाएँ दलित समुदाय से है जो एक स्त्र में 8 घंटे कार्य करती है जिनकी आयु 30–40 वर्ष के बीच है। अधिकाशंतः महिलाएँ कर्मी अशिक्षित होने के कारण शहरों की सफाई कार्य में लगी है। जिससे वे अपने पूरे परिवार

का भरण–पोषण करती है। इस शोध के परिणामों को उजागर करते हुए महिला कर्मियों की वर्तमान व भविष्य की कानूनी नीतियों के प्रभावों का आंकलन करता है।

- **वाल्मीकि राज ''स्वच्छ भारत मिशन मैनुअल स्कैवेंजिग के उन्मूलन प्रथा'' (2018)** ने अपने शोध अध्ययन में मैनुअल स्कैवेंमिग के उन्मूलन के लिए संसाधनों की कमी को दर्शाया है। जो केवल सरकार व कानून की उदासीनता के कारण ये कार्य आज भी जारी है। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत श्रमिकों की स्थिति में सुधार लाने में सहायक हो सकता है। परन्तु आज भी सेप्टिक टैंकों की सफाई करते समय कर्मचारियों की मृत्यु हो रही है। इस शोध पत्र में लेख ने कहा है कि जिस तरह से ये अभियान शुरू किया वैसे ही रोबोट मशीनों द्वारा सीवर की सफाई से होने वाली मृत्यु को रोका जा सकता है।

उद्देश्य–

- मैला ढोने वाले कर्मियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
- मैला ढोने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना।
- मैला ढोने वाले समुदाय का जातिगत संरचना में स्थान व अन्य जातियों के साथ संबंधों को जानना।
- इस व्यवसाय के प्रति पायी जाने वाली प्रवृत्तियाँ और अभिवृत्तियों को जानना।
- मैला सफाई कर्मियों के कार्य से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान और स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत होने वाले कार्य से उनके जीवन में होने वाले परिवर्तन को जानने का प्रयास करना।

परिकल्पना–

- मैला ढोने वाले कर्मियों की सामाजिक व आर्थिक परिस्थिति निम्न स्तर की है।
- व्यवसाय से जुड़े उचित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है।
- भारत में जाति और व्यवसाय के मध्य सकारात्मक सम्बन्ध पाया जाता है और इस व्यवसाय को अपनाने वाले कर्मियों का जातिगत संरचना में स्थान निम्न होता है।

- इस व्यवसाय के प्रति नकारात्मक प्रवृत्तियाँ एवं अभिवृत्तियाँ दिखाई पड़ती है।
- स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत होने वाले प्रयासों तथा कानूनी प्रावधान इन कर्मियों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाते है।

पद्धतिशास्त्र

अध्ययन क्षेत्र–

प्रस्तुत शोध अध्ययन ''स्वच्छ भारत अभियान : मैला सफाई कर्मचारियों का मैनपुरी जिले का अध्ययन करते हेतु पूर्ण स्थानों का चयन अपने अध्ययन उद्देश्य के लिए किया जायेगा तथा मैला सफाई कर्मियों को अध्ययन ईकाई की रूप में कार्य की प्रकृति के आधार पर चयनित किया जायेगा।

मैला सफाई कर्मियों का विवरण

क्र. संख्या	कार्य की प्रकृति	जनसंख्या	प्रतिशत
1	संविदा कर्मी	63	13.65
2	स्थायी कर्मी	80	17.62
3	अस्थायी कर्मी	279	61.67
4	विकलांग कर्मी	32	7.04
	योग	**454**	**100**

नगर निगम मैनपुरी (जनगणना 2011)

शोध प्ररचना–

प्रस्तावित शोध हेतु अन्वेषणात्मक एवं व्याख्यात्मक अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग किया जायेगा।

निदर्शन–

प्रस्तुत शोध अध्ययन द्वारा आनुभाविक प्रतिवेदन के अन्तर्गत उद्देश्यपूर्ण निर्दशन का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें मैला सफाई कर्मचारियों की (454) उपलब्ध सम्पूर्ण इकाइयों में से 50 प्रतिशत इकाईयों का चयन अध्ययन उद्देश्य के लिए किया जायेगा।

तथ्यों का स्त्रोत –

अध्ययन की प्रकृति को देखते हुये प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों ही स्त्रोतों से तथ्यों का संकलन किया जायेगा। प्राथमिक स्त्रोतों में साक्षात्कार अनुसूची अवलोकन तथा द्वितीयक स्त्रोतों में पुस्तकों, पत्रिकाओं शोध पत्र व इंटरनेट का प्रयोग किया जायेगा।

तथ्यों का सम्पादन, वर्गीकरण व विश्लेषण–

प्रस्तुत अध्ययन में तथ्यों को संकलित करने के पश्चात् उनकी प्रकृति के अनुसार विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया जायेगा। अगले चरण में आँकड़ों को विभिन्न सारणियों में प्रस्तुत किया जायेगा और फिर तथ्यों का विश्लेषण किया जायेगा।

प्रस्तावित अध्यायीकरण

प्रथम अध्याय

- प्रस्तावना
- अवधारणात्मक स्पष्टीकरण
- शोध की समस्या
- अध्ययन का महत्व
- साहित्य पुनर्वालोकन
- अध्ययन के उद्देश्य
- अध्ययन की परिकल्पना

द्वितीय अध्याय

- पद्धतिशास्त्र
- शोध प्रारूप
- अध्ययन का क्षेत्र
- निर्देशन
- तथ्यों का स्त्रोत
- तथ्यों का सम्पादन वर्गीकरण विश्लेषण

तृतीय अध्याय

- मैला ढोने वाले कर्मियों की सामाजिक, आर्थिक स्थिति।

चतुर्थ अध्याय

- मैला ढोने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव।

पंचम अध्याय

- मैला ढोने वाले समुदाय का जातिगत संरचना में स्थान व अन्य जातियों के साथ संबंध।

षष्ठम अध्याय

- इस व्यवसाय के प्रति पाये जाने वाली प्रवृत्तियाँ और अभिवृत्तियाँ।

सप्तम अध्याय

- मैला सफाई कर्मियों के कार्य से सम्बन्धित कानूनी प्रावधान और स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत होने वाले कार्य।
- निष्कर्ष
- सन्दर्भ ग्रन्थ।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह, एस.एस. तथा सुन्दरम एस. : इमरजिंग हरिजन इलिट : ए स्टडी ऑफ देअर आइडेन्टिटी, न्यू देहली, उप्पल पब्लिशिंग हाउस (1987)
- शर्मा, रामशरण : शूद्रो का प्राचीन इतिहास, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली (2007)
- शाह, एस.एल. भारत में जाति एवं वर्ण व्यवस्था कब क्यों और कैसे, दिल्ली पी. एस. नेगी, सरिता बुक हाउस (2005)
- खुदशाह, संजीव (2005) सफाई कामगार, समुदाय, राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली–110057
- मइकल, एस.एस. (2010) आधुनिक भारत में दलित दृष्टि एवं मूल्य, एन. इन्टरनेशनल जनरल सिन्स, 2002 साउथ एसियन
- सुलभ इंटरनेशनल (1997) साउथ एशिया, सुलभा इंटरनेशनल म्यूजिमय ऑफ टयोलेट्स (NHRL)

- श्रीनिवास, एम.एन. (2001) आधुनिक भारत में जाति, राजकमल प्रकाशन प्रा.लि., दरियागंज, नई दिल्ली–110002
- सिंह, राजीव कुमार एवं जिआउद्दीन (2009) मैनुअल स्कैवजिंग एज. सोशल एक्सक्लूसिव : ए केस स्टडी, इकोनोमिक एण्ड पॉलिटिक्स वीकली (EPW) VOLXLIV NOS 26 $ 27 PP 521523
- श्याललाल (2015) अम्बेडकर और दलित आन्दोलन, रावत पब्लिकेशन्स, जवाहर नगर, जयपुर (इण्डिया)
- सिद्दारामू बी. (2013) लिबरेशन एण्ड रिहबिलिटाइजेशन ऑफ मैनुअल स्कैवजर्स इंटरनेशनल जरनल ऑफ रिसर्च इन हयूमैनिटीज, आर्टस एण्ड लिटरेचर (IJRHAL) Vol. 1, Issue 2, p. 29-38
- वाल्मीकि ओमप्रकाश (2001) दलित साहित्य का सौन्दर्यशास्त्र, राधाकृष्ण प्रकाशन, प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज, नई दिल्ली–110002
- वाल्मीकि ओमप्रकाश (2008) : सफाई देवता (वाल्मीकि समाज की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक पृष्ठभूमि) राधाकृष्ण प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
- पाठक विन्देश्वर (1997) : सोशल जस्टिस एण्ड डवलपमैन्ट ऑफ वीकर सैक्सन, इण्टर इण्डिया पब्लिकेशन
- कर्दम, जय प्रकाश (2006) : दलित साहित्य अकादमिक, प्रतिभा एकता अपार्टमेंट, गीता कॉलोनी, दिल्ली–110031
- डॉ० राजनारायण आर. तिवारी (2008) : व्यावसायिक चिकित्सा प्रभाग व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्था, मेधानी नगर, अहमदाबाद–380016
- प्रिया (2019) : भारत में महिला सफाई कामगारो की रोजमर्रा की हकीकत, पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, 42, तुगलकाबाद इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली–110062
- गीता रामास्वामी (2011) : भारत बदबू आंध्र प्रदेश में मैनुअल स्केवेंजर्स, प्रकाशन नयवाना पब्लिशर्स, ISBN10
- अम्बेडकर बी.आर. : अछूत कौन और कैसे, समता प्रकाशन, शाहदरा

- कमल, राजवीर सिंह, दलित समाज दशा दिशा, दिल्ली कान्ति पब्लिकेशन्स (2017)
- वाल्मीकि राज (2018) स्वच्छ भारत मिशन मैनुअल स्कैजेनिजम के उन्मूलन के बिना एक धोखा, फाखडे प्रेस ई मेल infoforwardmagazine.in
- ठाकुर, विमला (1991) कमजोर वर्ग के सामाजिक, आर्थिक विश्लेषण, दया पब्लिशिंग
- वेजवाडा, विल्सन (2012) सफाई कर्मचारी एंडोलन, दिल्ली
- हयूमन राइट्स वॉच ''मैनुअल स्कैवेजिंग'' भारत में जाति और भेदभाव
- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (1996–2020) ग्लोवल की रिपोर्ट ''काम से समानतः निरन्तर चुनौती''।
- पटेल, अमृत (2013) मैनुअल मेहतर : मानव गरिमा का सवाल कुरुक्षेत्र, पृ. 14–18
- रमेश चन्द्र (1999) मैला ढोने वालो का पुनर्वास : आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक 34(37), सितम्बर 11–17, 1999, पी.पी. 2635–2636